दस रुपये TEN दस रुपये TEN दस रुपये TEN RUPEES

220

माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल म0प्र0 ग्वालियर म0प्र0

- - - - - - - - - - - - - - - - - - निग - 2099 - I - 16

निग0प्र0क्र0 16 निग

हुकुमतनय श्री रामबगस यादव निवासी ग्राम पहाड़ी खुर्द तह.वजिला टीकमगढ म.प्र.
निगरानीकर्ता

बनाम

1. विनोद तनय स्व. श्री मोहन यादव निवासी ग्राम सुनोरा खिरिया तह.वजिला टीकमगढ म.प्र.
2. म0प्र0 शासन
..प्रतिनिगरानीकर्ता

निगरानी प्रस्तुत विरुद्ध आदेश न्यायालय अपर कलेक्टर जिला टीकमगढ म.प्र. के प्र0क्र03/स्व.निग./2014-15 मे पारित आदेश दिनांक 24/5/2016 अंतर्गत धारा 50 म.प्र. भू.रा.सं. 1959

- - - - - - - - - - - - - -

महोदय,

निगरानीकर्ता की विनय सादर प्रस्तुत है:

1. यहकि प्रतिनिगरानीकर्ता/ आवेदक विनोद यादव ने एकआवेदन अधीनस्थ न्यायालय मे दिया था कि ग्राम सुनोरा खिरिया की भूमि ख.न. 187रकवा 0.405 आरे. पर अवैध रूप सेबिना प्रकरण क्र. के दर्जप्रवृष्टिको स्वमेव निगरानी मे ली जा कर निरस्त किए जाने वाबत था उक्त प्रतिनिगरानीकर्ता का आवेदन प्रथम दृष्टया ही गलत था क्योकि निगरानीकर्ता को विधिवत तरीके से प्रकरण क्र.27/अ-19(4)/वर्ष 2000-01आदेश दिनांक 12/07/2001 के द्वारा विधिवत तरीके से ग्राम सुनोरा खिरिया की भूमि ख.न.187 रकवा0.405हे. लगान 1.25पैसे का व्यवस्थापन किया गया था ऐसा व्यवस्थापन कंडिका 24 राजस्व पुस्तक परिपत्र के अंतर्गत किया जाता है ऐसे आदेश के विरुद्ध माननीय प्रथम अपील न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी टीकमगढ के यहां अपील प्रस्तुत की जा सकती थी परंतु प्रतिनिगराकार के द्वारा अपील प्रस्तुत न करने का एक बहाना लिखा कि उक्त प्रकरण की नकल नही मिल रही है इस कारण यह आवेदन स्व0निगरानी मे लेने बावत दिया जा रहा है निगराकार ने अपनी आपत्ति के विधि विन्दू क्र.1 मे उक्त विधि विन्दू को लेख किया था परंतु अधीनस्थ - न्यायालय ने प्रथम दृष्टया आपत्ति का निराकरण न करते हुए उक्त आपत्ति पर

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी-2099-एक/2016 जिला टीकमगढ़ हुकुम विरूद्ध विनोद व शासन

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
20-02-2019	1. प्रकरण प्रस्तुत । आवेदक द्वारा यह निगरानी अपर कलेक्टर टीकमगढ़ के प्रकरण क्रमांक 03/स्व.निग./2014-15 में पारित आदेश दिनांक 24-05-2016 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है । म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 25-09-2018 को हुए नवीन संशोधन के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण आयुक्त सागर संभाग सागर के न्यायालय को अंतरित किया जाता है । 2. पक्षकार दिनांक 15-04-2019 को आयुक्त सागर संभाग सागर के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों । (आर.के. जैन) सदस्य 20/2/2019	